

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)
email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5041

दिनांक :- 13.12.2025

अधिसूचना

सां. आ.: 137/2025- भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-यक (Article 243ZA) के अंतर्गत नगरीय निकायों के अध्यक्ष/सदस्यों के निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है।

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उप-धारा (1) में यह उपबंध है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगरपालिका के निर्वाचन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होती है, समाप्त होने वाली निर्वाचन की कालावधि के दौरान किसी भी अभ्यर्थी या उसके सम्यक रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा यानों या ध्वनि विस्तारकों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिंगों, पोस्टरों और बैनरों के प्रदर्शन पर युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा।

उपधारा (2) यदि कोई भी उम्मीदवार या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता, उप-धारा (1) के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिरोपित निर्बंधनों में से किसी का भी उल्लंघन करता है तो वह, दोषसिद्धि पर, जुर्माने से, जो ¹ (पांच हजार रुपये) तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

उपधारा (3) उप-धारा (2) के अधीन दंडित प्रत्येक व्यक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश से, किसी नगरपालिका का सदस्य चुने जाने या होने के लिए ऐसी कालावधि के लिए, जो ऐसे आदेश की तारीख से छह वर्ष तक की हो सकेगी, निरर्हित किये जाने का भागी होगा:

परन्तु राज्य निर्वाचन आयोग किसी पश्चात्तर्वर्ती आदेश द्वारा, लेखबद्ध कारणों से, इस धारा के अधीन किसी भी निरर्हता को हटा सकेगा या ऐसी किसी भी निरर्हता की कालावधि को कम कर सकेगा।

उपधारा (4) कोई भी न्यायालय उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी भी अपराध का संज्ञान, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा किये गये परिवाद के सिवाय नहीं करेगा।

अतः नगरपालिका सदस्यों के निर्वाचन के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-यक (Article 243ZA) एवं नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 23(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आयोग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1) नपा-पंचा/सां.आ./रानिआ/2014/4237 दिनांक 21.10.2019 (सां. आ. 127/2019) को अधिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भ:- (i) इस आदेश का नाम राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन में वाहनों एवं लाउडस्पीकों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2019 है; (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है। (iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।
2. परिभाषाएँ:- (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :-
 - (i) "निर्वाचन" से नगरपालिका के सदस्य के लिए "साधारण निर्वाचन" और "उप निर्वाचन" अभिप्रेत है;
 - (ii) "सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी नगरपालिका का विधिपूर्वक सदस्य है और इसमें नगर निगम के मामले में निगम पार्षद, नगर परिषद के मामले में पार्षद और नगरपालिका मण्डल के मामले में सदस्य सम्मिलित हैं;
 - (iii) "प्ररूप" से इस आदेश में उल्लेखित "प्ररूप" अभिप्रेत है;
 - (iv) "खण्ड" से इस आदेश का "खण्ड" अभिप्रेत है;
 - (v) "उप खण्ड" से उस "खण्ड" का "उप खण्ड" अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और
 - (vi) "नियम" से नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 अभिप्रेत है;

(2) जो शब्द और पद इस आदेश में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अथवा राजस्थान नगरपालिका (निर्वाचन) नियम, 1994 में परिभाषित हैं, उनके वे ही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम और नियम में क्रमशः समनुदिष्ट हैं।

3. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा**— अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना की तिथि से निर्वाचन समाप्ति तक चुनाव प्रचार या चुनाव संबंधी यात्रा (campaigning or election related travel) के लिए निम्नांकित वाहनों का उपयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा:—
(i) बस (ii) ट्रक (iii) मिनी बस और (iv) मेटाडोर एवं (v) पशुचालित किसी भी प्रकार का वाहन यथा तांगा, ऊँटगाड़ी, बैलगाड़ी आदि।

4. **कतिपय प्रकार के वाहनों के उपयोग को नियंत्रित करना**— उक्त वर्णित वाहनों से भिन्न अन्य किसी वाहन का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा—

(1) नगर निगम पार्षद के चुनाव में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा अधिकतम तीन वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(2) नगर परिषद पार्षद के चुनाव में अधिकतम दो वाहनों का उपयोग किया जा सकेगा;

(3) नगरपालिका सदस्य के चुनाव में अधिकतम एक वाहन का उपयोग किया जा सकेगा;

(4) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अंतर्गत वाहन का उपयोग करने से पूर्व अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहन संख्या एवं उसका प्रकार तथा वाहन चालक के नाम व पते की लिखित सूचना संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को कम से कम 24 घंटे पूर्व देनी होगी। उक्त सूचना के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी द्वारा वाहन उपयोग की अनुमति निर्धारित प्ररूप 'ख' में जारी की जायेगी, जो अभ्यर्थी द्वारा उपयोग किये जा रहे वाहन पर प्रदर्शित (display) की जायेगी।

(5) किसी भी निर्वाचन में उक्त उप खण्ड (1), (2) अथवा (3), जैसी भी स्थिति हो, में बताये गये तीन वाहनों से अधिक की रैली या काफिला नहीं निकाला जायेगा। मतदान समाप्ति के लिये निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि में ऐसी रैली या काफिला निकाला जाना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

(6) उप खण्ड (1), (2) एवं (3) के अन्तर्गत मतदान दिवस को वाहन के उपयोग के लिए लिखित अनुमति संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से लेनी होगी, जिसके लिए अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा जारी की जायेगी और यदि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 133 सपठित धारा 123(5) के उपबंधों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी अनुमति रिटर्निंग अधिकारी द्वारा बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दी जायेगी।

स्पष्टीकरण— इस खण्ड के प्रयोजन के लिए वाहन से अभिप्रेत जीप, कार, तिपहिया टैम्पो, मोटरसाईकिल, स्कूटर है।

5. **लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध**— लाऊड स्पीकरों का उपयोग निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन रहते हुए किया जा सकेगा—

(1) अभ्यर्थी द्वारा चुनाव प्रचार के लिए स्थापित चुनाव कार्यालय पर लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(2) मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व की 48 घंटे की अवधि में एवं हॉस्पिटल, स्कूल एवं धार्मिक स्थल के 100 मीटर की परिधि में लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा;

(3) प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की प्ररूप 'ग' में लिखित अनुमति के उपरान्त ही उपयोग किया जा सकेगा;

(4) ऐसी अनुमति प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता यदि कोई हो, को लिखित रूप में अवगत कराना होगा कि वह किस प्रकार और किसी स्थान पर उसका उपयोग करेगा।

6. कट-आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टर एवं बैनरों के प्रदर्शन का निषेध :- (1) निर्वाचन में सार्वजनिक या निजी स्थान पर किसी अभ्यर्थी या राजनैतिक दल के नेता की तस्वीर अथवा चुनाव चिन्ह अथवा नारे दर्शाते हुये कट आऊट, होर्डिंग्स, पोस्टर या बैनर आदि निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन प्रदर्शित किये जा सकेंगे—

- (i) पोस्टरों का मुद्रण कराते समय लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-क के उपबंधों और उसके आदेशों की पालना करनी होगी;
- (ii) कट-आऊटों, होर्डिंग्स, पोस्टरों एवं बैनरों के प्रदर्शन में नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क "सम्पत्ति के विरूपण का निवारण" के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए यदि वे सार्वजनिक स्थल पर लगाये जाते हैं तो संबंधित स्थानीय प्राधिकारी या इस निमित्त विधि द्वारा प्राधिकृत सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेनी होगी;
- (iii) नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अध्याय 12क "सम्पत्ति के विरूपण का निवारण" के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए किसी निजी संपत्ति पर केवल ऐसी प्रचार सामग्री जो आसानी से हटायी जा सके, यथा झण्डियां, बैनर, आदि लगायी जा सकेगी लेकिन ऐसी प्रचार सामग्री लगाने से पूर्व संबंधित संपत्ति के स्वामी से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी;
- (iv) किसी भी मतदान बूथ के भवन के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में ऐसे पोस्टर या बैनर या प्रचार सामग्री प्रदर्शित नहीं की जायेगी;

परन्तु मतदान के दिन अभ्यर्थियों द्वारा लगाये जाने वाले निर्वाचन बूथों पर एक बैनर लगाया जा सकता है जिसका आकार 2x5 फीट से अधिक नहीं होगा लेकिन इस बैनर पर किसी राजनैतिक दल के नेता या अभ्यर्थी का चित्र/फोटो या चुनाव चिन्ह या नारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

- (v) आमसभा/जुलूस/रैली आदि के लिए अधिकारिता रखने वाले कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

स्पष्टीकरण:- स्थान में गृह, भवन, तम्बू और वाहन शामिल हैं।

7. अधिकतम चुनाव खर्च सीमा एवं इस आदेश के उल्लंघन :- (1) निर्वाचन हेतु धारा 23 के अन्तर्गत ऊपर उल्लेखित मदों के लिए किए जाने वाले खर्च की अधिकतम सीमा नीचे दी गई तालिका में अंकितानुसार होगी;

क्रम संख्या	पद का नाम	अधिकतम खर्च सीमा
1.	नगर निगम पार्षद (corporator)	रुपये 3,50,000 /—
2.	नगर परिषद पार्षद (councillor)	रुपये 2,00,000 /—
3.	नगरपालिका सदस्य (member)	रुपये 1,50,000 /—

- (2) चुनाव खर्च का लेखा संलग्न प्रारूप 'क' में परिणामों की घोषणा के 15 दिवस के अन्दर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर) या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी/ प्राधिकृत अधिकारी प्राप्त लेखा को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी सात दिवस में कोई भी व्यक्ति उक्त प्रारूप में दर्शित खर्च के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत कर सकेगा।

- (3) उक्त आदेश द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध के उल्लंघन की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष की जा सकेगी। ऐसा अधिकारी या तो स्वयं जांच कर सकेगा या अपने अधीनस्थ अधिकारी, जो तहसीलदार स्तर से निम्न श्रेणी का नहीं होगा, से जांच करा सकेगा। शिकायत में अंकित तथ्यों के साबित पाए जाने पर समुचित कार्यवाही के लिए प्रकरण क्षेत्राधिकार रखने वाले उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया जाएगा।

(8) प्रतिबंधों के उल्लंघन पर न्यायालय में शिकायत प्रस्तुत करना:- (1) क्षेत्राधिकार रखने वाला उपखण्ड अधिकारी आयोग के निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में जांच रिपोर्ट पर अपना समाधान करेगा। निर्वाचन में किसी अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उल्लंघन किया जाना प्रकट होने पर संबंधित उपखण्ड अधिकारी क्षेत्राधिकार रखने वाले सक्षम न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे परिवाद एवं की गयी जांच की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को भी तीन दिन के भीतर भेजेगा।

(2) न्यायालय द्वारा उप पैरा (1) में प्रस्तुत प्रकरण के निस्तारण पर निर्णय की प्रति 15 दिन के भीतर संबंधित उपखण्ड अधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग तथा जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) को भेजी जायेगी।

राज्य निर्वाचन आयोग सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को एतद्वारा यह सूचित करता है कि उपर्युक्त विषय पर वैधानिक प्रावधानों एवं आयोग के निर्देशों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जायेगा और दोषियों के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आज्ञा से,

23/12/25

(राजेश वर्मा)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ. 1(2)(1) नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/5042-45
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 23.12.2025

1. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) (कलक्टर), राजस्थान।
2. समस्त रिटर्निंग अधिकारी मार्फत जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान, जयपुर को राजपत्र में प्रकाशन में हेतु ई-गजट पर अपलोड करने/समस्त संबंधितों को ई-मेल करने एवं आयोग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. लेखा/कम्प्यूटर/स्टोर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग राज., जयपुर।

23.12.2025

(अम्बालाल मीणा)
उप सचिव

प्ररूप-क
अभ्यर्थी द्वारा किए गए चुनाव खर्च का विवरण

नगरपालिका के सदस्य लिए निर्वाचन

1. वार्ड संख्या
2. अभ्यर्थी का नाम
3. अभ्यर्थी के पिता का नाम
4. अभ्यर्थी का पता

क्रम संख्या	खर्च की प्रकृति एवं अन्य विवरण			खर्च की गई राशि (रुपया में)
1.	वाहन (नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर सहित) (i) (ii) (iii)	अवधि दिवस में	दर	POL सहित
2.	लाउडस्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर। (फर्म का नाम एवं पता)	अवधि दिवस में	दर	
3.	पोस्टर, बैनर, हैंडविल पम्फलेट, कट-आउट, होडिंग्स (मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम एवं पता)			
4.	अन्य व्यय (पूर्ण विवरण सहित)			
कुल राशि				

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

मैं सत्य निष्ठा से प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण मेरी निजी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

प्ररूप-ख

**रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम
नगरपालिका चुनाव हेतु वाहन के उपयोग की अनुमति**

श्री/श्रीमती जो नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के वार्ड संख्या के लिए स्वतंत्र/.....पार्टी के अभ्यर्थी है, को उनके आवेदन पर निम्न वाहन/वाहनों के चुनाव प्रचार में उपयोग की अनुमति नीचे दी गई शर्तों पर दी जाती है-

वाहन का विवरण

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी (LMV/Three wheeler/two wheeler)	रजिस्ट्रेशन नं. एवं चेसिस नं.	वाहन का प्रकार (e.g. Innova, Dzire, Bolero etc)	तारीख जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई।	वाहन पर लाउडस्पीकर की अनुमति प्राप्त है अथवा नहीं
1					
2					
3					

1. आदर्श आचार संहिता का पालन किया जावे।
2. यातायात नियमों/सड़क सुरक्षा नियमों/मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य तत्समय प्रभावी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. नगरपालिका निर्वाचन नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना की जायेगी।
4. वाहन में तय क्षमता से अधिक व्यक्तियों को नहीं बिठाया जावे।
5. मूल स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज वाहन के साथ रखे जावें।
6. वाहन में निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावे।
7. वाहन की अनुमति का प्रयोग अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा ही किया जा सकेगा।
8. तीन से अधिक वाहनों का काफिला नहीं चलेगा।

**रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम**

प्ररूप-ग

**रिटर्निंग अधिकारी नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम
नगरपालिका चुनाव हेतु लाउडस्पीकर/माईक के उपयोग की अनुमति**

श्री/श्रीमती जो नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के वार्ड संख्या के लिए स्वतंत्र/.....पार्टी के अभ्यर्थी है को उनके आवेदन पर **लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र** के चुनाव प्रचार में उपयोग की अनुमति निम्न स्थान/स्थानों या वाहन/वाहनों के लिए नीचे दी गई शर्तों पर दी जाती है—

(अ) वाहन का विवरण

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी (LMV/Three wheeler/two wheeler)	रजिस्ट्रेशन नं. एवं चेसिस नं.	वाहन का प्रकार (e.g. Innova, Dzire, Bolero etc)	तारीख जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई।
1				
2				

(ब) सभा स्थल का विवरण

क्रम संख्या	स्थान के स्वामी का नाम	स्थान का पता	तारीख एवं समय अवधि जिनके लिए अनुमति प्रदान की गई
1			
2			

(अ) एवं (ब) में से जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाये।

1. आदर्श आचार संहिता एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 यदि लागू हो, की पालना की जावे।
2. यातायात नियमों/सड़क सुरक्षा नियमों/मोटर वाहन अधिनियम एवं अन्य तत्समय प्रभावी अधिनियम/नियम/दिशानिर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।
3. नगरपालिका निर्वाचन नियम एवं राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना की जायेगी।
4. मूल स्वीकृति एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज स्थान/भवन पर रखे जावें।
5. निर्धारित डेसीबल से अधिक ध्वनि प्रसारण यंत्र का प्रयोग नहीं किया जावे। अनुमति का प्रयोग अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता द्वारा ही किया जा सकेगा।
6. किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने आशय से वक्तव्य नहीं दिये जावें।
7. लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, पुस्तकालय एवं छात्रावास से 100 मीटर की परिधि में नहीं किया जाये।
8. लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग स्वीकृत अवधि तक ही किया जायेगा तथा लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बॉक्सनुमा स्पीकर द्वारा धीमी आवाज में किया जावे।
9. रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक लाउडस्पीकर/माईक/ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

**रिटर्निंग अधिकारी
नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम**